पत्रॉंक 84 /मु0वि0अ0/हैण्ड0परि0/2010

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 02 जुलाई, 2010

विषयः–**हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों का पंजीकरण ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 83/मु0वि0अ0/है0परि0/2010, दिनांक 30 जून, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु दिशा–निर्देश एवं शर्तें आदि जारी की गयी हैं।

उक्त पत्र में उल्लिखित समय–सारिणी के अनुसार इस वर्ष पंजीकरण किए जाने का नोटिस /विज्ञप्ति जून माह में तथा आवेदन पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक प्राप्त करना संभव नहीं है।

अतः वर्णित परिस्थितियों में पत्र के पृष्ठ –2 के कमांक 6 के समय–सारिणी में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने की तिथि विशेष परिस्थिति में केवल इस वर्ष 2010–11 के लिए 16 अगस्त 2010 तक बढ़ाई जाती है।

कृपया तद्नुसार तत्काल विज्ञप्ति जारी करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(राजीव अग्रवाल)
आयुक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
02. समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी/संभागीय लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
03. समस्त संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
04. समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(राजीव अग्रवाल)
आयुक्त।